कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांकः अ0छा0क0 / 1082 दिनॉकः नवम्बर 19, 2018

समस्त अधिष्ठाता

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 से विभागीय दशमोत्तर छात्रवृत्तियों (एस0सी0, एस0टी0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)हेतु पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) में उपलब्ध दिशा–निर्देशों के क्रम एवं आई0 टी0 सेल जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर के ई– मेल संदेश दिनांक 17 नवम्बर 2018 के अनुसार इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जो विद्यार्थी उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन करते समय **G.B.PANT UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY** का चयन करते हैं, उनका सत्यापन इस कार्यालय से किया जाएगा ।

भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) पर उपलब्ध दिशा–निर्देशों एवं विश्व विद्यालय की शैक्षिक नियमावली 2013 के CHAPTER XII REGULATIONS FOR THE AWARD OF FELLOWSHIP/ SCHOLARSHIP BY OUT SIDE AGENCIES में 6(IV) The student on Academic Probation/ Conduct Probation shall not be eligible for the financial aids के अनुसार छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की **अन्तिम तिथि 30.11.2018** निर्धारित है। अतः सभी सम्बन्धित पात्र विद्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें कि वे निर्धारित तिथि तक भारत सरकार के पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) पर आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्डकॉपी में शैक्षिक परिवीक्षा (Acadimic Probation) अथवा चारित्रिक परिवीक्षा (Conduct Probation) पर नहीं है का प्रमाण पत्र (स्वहस्ताक्षरित, परामर्शदाता एवं अधिष्ठाता से हस्ताक्षरित कराकर) सभी अभिलेखों सहित इस कार्यालय में 05.12.2018 तक प्रस्तुत करें। सम्बन्धित पात्र विद्यार्थियों को यह भी अवगत करा दिया जाये कि उनके आधार कार्ड एवं प्रमाण पत्रों में अंकित नाम व जन्मतिथि समान होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्यार्थियों को पार्टल पर सभी वांछित अभिलेख अपलोड करने आवश्यक है।

सभी सम्बन्धित पात्र विद्यार्थियों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन कर इसकी हार्डकॉपी समस्त अभिलेखों सहित दिनांक 05.12.2018 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध करा दें अन्यथा उनके आवेदन पत्र इस कार्यालय से सत्यापित (Verify) करके भेजना सम्भव नहीं होगा और इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगें।

(आर0 एस0 जादौन)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः

1. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को विद्यार्थियों के मध्य प्रसार हेतु।
2. समस्त महाविद्यालयों/छात्रावासों/कुलसचिव/पुस्तकालय/सी0सी0एफ/स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय के नोटिस बोर्डो पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय वेवसाईट को विश्वविद्यालय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर को उनसे प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।